



2026:AHC-LKO:18835-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 2550 सन 2026**

जे एंड वी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जयेश एंटरप्राइजेज द्वारा अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता तीर्थ राज तिवारी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	लवकुश पांडे, राजेश सिंह यादव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेंद्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय**

1. अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुश पांडे को, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को तथा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह चौहान को सुना गया।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि निविदा के अनुसार केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी और प्रचलित नीति के अनुसार एक ही बोली पर विचार करना अनुचित था। याचिकाकर्ता ने कोई बोली प्रस्तुत नहीं की क्योंकि वह न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. राहत संख्या 3 के संबंध में, उसमें उल्लिखित राशि इस रिट याचिका को दाखिल करने के बाद वापस कर दी गई है। हमें इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।

5. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

[न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

मार्च 16, 2026

आर.के.पी./-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।